डीजी-परिपत्र संख्या-23/2018

ओ०पी० सिंह
आई०पी०एस०

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः मई 16, 2018

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि पुलिस के कंधों पर अपराध नियन्त्रण, अन्वेषण तथा समाज में कानून-व्यवस्था तथा शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने का दायित्व है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फील्ड में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा एवं मनोयोग के साथ सम्पादित करना होगा। पुलिस विभाग शासन का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं दिखाई पड़ने वाला अंग है इसलिए पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सर्वाधिक होती है। आप सहमत होगें पुलिस की कार्य-प्रणाली की जनता, मीडिया एवं अन्य सामाजिक संस्थायें निरन्तर समीक्षा करती रहती हैं तथा छोटी से छोटी त्रुटियों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जनता के लिए उपलब्धता (Accessibility) जनता में विश्वर्सनीयता (Credibility) जनता के प्रति संवेदनशीलता (Sensitivity) एवं पुलिस तन्त्र की गतिशीलता (Mobility) बनाये रखने की आवश्यकता है।

पुलिस के मनोबल व व्यवसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि जो कर्मी अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यो को प्रमुखता से अन्य कर्मियों के बीच में उद्धृत किया जाए, ताकि अन्य कर्मी भी इससे प्रेरित होकर अपनी कार्य-कुशलता, संवेदनशीलता एवं व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि कर सके।

मैं अपेक्षा करता हूं कि जनपदों में प्रत्येक माह में अपराध गोष्ठी का प्रारंभ विगत माह में किये गये अच्छे या प्रमुख कार्य करने वाले कर्मियों के द्वारा किया जाए उदाहरण के तौर पर अग्निशमन कर्मी अत्यन्त ही संवेदनशीलता के साथ घटना स्थल पर शीघ्र उपस्थित होते हैं। जान की परवाह किये बिना अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। गोष्ठी में उपस्थित अन्य अधिकारियो/कर्मचारियों के समक्ष,उनके द्वारा किये गये दुरूह एवं सराहनीय कार्यो का उन्ही से प्रस्तुतीकरण कराया जाये। इसी प्रकार Best Employee Of The Month के 1-2 प्रकरण को बैठक में बताया जाए एवं उन कर्मियों से स्वयं भी विचार व्यक्त कराया जाए। पुलिस के अन्य किसी भी विभाग यथा डीसीआरबी, लिपिक शाखा, डायल 100 आदि के अच्छे कार्य करने वाले कर्मियों को भी विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाए।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
16.5.18
(ओ०पी० सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ०प्र० लखनऊ।
2.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।